राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023 जयपुर, दिनांक 14.06.2023

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नव सृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय रायसिंनगर-जिला श्रीगंगानगर, फागी-जिला जयपुर जिला एवं खेतड़ी- जिला झुंझुंनू आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भः-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.06.2023 के द्वारा सृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय रायसिंनगर-जिला श्रीगंगानगर, फागी-जिला जयपुर जिला एवं खेतड़ी- जिला झुंझुंनू हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मेट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1	3
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-12/ 4800	44300	1	3
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-11/ 4200	37800	1	3
4	रीडर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-11/ 4200	37800	1	3
5	लिपिक ग्रेड-I	5200-20200	PB-I/L-8/ 2800	26300	3	9
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/ 2400	20800	2	6
7	प्रोसेस सर्वर	5200-20200	PB-I/L-4/ 2000	19200	4	12
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/ 1700	17700	4	12
	कुल				17	51

उक्त न्यायालयों के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार आवश्यक नवीन आईटम्स प्रति न्यायालय क्रय किये जाने की राशि स्वीकृत की जाती है-

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीठासीन अधिकारी के कक्ष हेतु 1 A.C.	0.45
	योग	6.02

यह व्यय लेखामद 2014-00-105-(19)-[01]-01(राज्य निधि)(प्रतिबद्ध) के अन्तर्गत प्रभार्य होगा।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः भवन निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुये केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता तकमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेगें।

उक्त नवीन न्यायालय हेतु राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक के लिये भवन किराये पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102301324 दिनांक 23.05.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांकः G/I/A-4(i)(a)79/2023/५११ - ५१५ दिनांकः ०१/०७/२०२३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर, जयपुर जिला एवं झुंझुनू।
2. अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, रायसिंहनगर-जिला श्रीगंगानगर, फागी-जिला जयपुर जिला एवं खेतडी- जिला झुंझुनू।
3. सहायक लेखाधिकारी (बजट), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. OSD (Computer) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को Website पर Upload करने बाबत।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)